

27.03.18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगाई गई किन्तु वही असालतन या
वकालतन उपस्थित नहीं आया। अतः प्रकरण अदम
दहरी व अदम पैरवी में खरिज किया जाता
है। पत्रावली कैसलशुमार होकर नंबर से कम
हो खै बाद तकमील जमा जिला अभिलेखानार
है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी